भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1464

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के लिए वेब पोर्टल

1464. श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' :
श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए वेब पोर्टल की स्थापना के लिए कोई कदम उठाए हैं जहां विधि विभाग द्वारा न्यायालय मामलों की प्रभावी निगरानी में मदद के लिए मंत्रालय/विभाग विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे तथा इन मामलों की स्थिति के ब्यौरे को अपलोड कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मध्यस्थता के लिए कोई संरचनात्मक विधिक ढांचा आरंभ किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है ।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1464 जिसका उत्तर तारीख 11.02.2021 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : विधि कार्य विभाग ने तारीख 8 फरवरी, 2016 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा विधिक सूचना प्रबंधन और संक्षिप्त विवरण तंत्र (एलआईएमबीएस) को क्रियान्वित किया है जो ऐसे न्यायिक मामलों की, जहां भारत सरकार एक पक्षकार है, निगरानी के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित अनुप्रयोग है। इसे सरकार के 72 मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वित किया गया है जहां वे ऐसे मामलों के ब्यौरें और इसकी प्रास्थिति को अपलोड कर सकते है जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। इसके अतिरिक्त अनुप्रयोग में उच्च स्तर पर मामलों के त्वरित विश्लेषण के लिए डेशबोर्ड अवलोकन से सुसज्जित नवीन संशोधित प्लेटफार्म को सहज बनाया गया है जिससे न्यायिक मामलों की भी प्रभावशाली निगरानी की जा सके । तारीख 2 फरवरी, 2021 को मंत्रालयों/विभागों ने एलआईएमबीएस अनुप्रयोग में 6.32 लाख न्यायिक मामले अपलोड किए है।

(ग) से (घ) : मध्यस्थता, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन न्यायालय को उपलब्ध एक अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र है और यह विवादों के समझौते के लिए लोकप्रिय और उपयोगी पद्यती है। इसमें बातचीत भी अंतर्ग्रस्त है। विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटारा करने में सक्रिय रुप से अंतर्गस्त है। विद्यमान मध्यस्थता केंद्रों की संख्या और मध्यस्थता केद्रों के माध्यम से निपटाये गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(क) <u>अनुकल्पी विवाद समाधान केन्द्र और मध्यस्थता केन्द्र</u> (नवम्बर, 2020 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	अनुकल्पी विवाद समाधान केन्द्र	अनुकल्पी विवाद समाधान केन्द्र से भिन्न विद्यमान मध्यस्थता केन्द्र
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	13	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	21	2
4.	असम	12	15
5.	बिहार	16	11
6.	छत्तीसगढ़	2	33
7.	दादर और नागर हवेली	1	0
8.	दमन और दीव	0	1
9.	दिल्ली	0	6
10.	गोवा	5	10
11.	गुजरात	12	14

12.	हरियाणा	17	5
13.	हिमाचल प्रदेश	7	12
14.	जम्मू - कश्मीर	16	8
15.	झारखंड	24	0
16.	कर्नाटक	30	29
17.	केरल	7	64
18.	लक्षद्वीप	0	0
19.	मध्य प्रदेश	43	143
20.	महाराष्ट्र	37	0
21.	मणिपुर	1	0
22.	मेघालय	1	2
23.	मिजोरम	2	2
24.	नागालैंड	0	1
25.	ओडिशा	16	16
26.	पुडुचेरी	2	2
27.	पंजाब	17	7
28.	राजस्थान	30	144
29.	सिक्किम	4	4
30.	तमिलनाडु	32	11
31.	तेलंगाना	4	7
32.	त्रिपुरा	1	5
33.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	1	1
34.	उत्तर प्रदेश	61	0
35.	उत्तराखंड	4	16
36.	पश्चिमी बंगाल	18	2
	कुल योग	**458**	**574**

(ख) विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या को दर्शाता हुआ एक विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम**	**मध्यस्थता केन्द्रों के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या**		
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	2	14	15
2.	आंध्र प्रदेश	870	1124	922
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	434	354	402
5.	बिहार	546	294	930
6.	छत्तीसगढ़	509	660	967
7.	दादर और नागर हवेली	1	14	18
8.	दमण और दीव	10	3	16
9.	दिल्ली	705	802	837
10.	गोवा	12	16	65
11.	गुजरात	655	520	654

12.	हरियाणा	2473	2429	2623
13.	हिमाचल प्रदेश	577	446	326
14.	जम्मू - कश्मीर	49	116	84
15.	झारखंड	6791	8954	8137
16.	कर्नाटक	6248	6515	6753
17.	केरल	11417	12534	13384
18.	लक्षद्वीप	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	30569	21995	19292
20.	महाराष्ट्र	27208	20255	20595
21.	मणिपुर	8	26	42
22.	मेघालय	1	1	0
23.	मिजोरम	0	0	0
24.	नागालैंड	0	0	0
25.	ओडिशा	225	108	90
26.	पुडुचेरी	16	26	20
27.	पंजाब	1780	2317	2591
28.	राजस्थान	2273	2548	2219
29.	सिक्किम	63	49	73
30.	तमिलनाडु	1333	2460	2379
31.	तेलंगाना	755	571	641
32.	त्रिपुरा	11	27	29
33.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	343	362	433
34.	उत्तर प्रदेश	7775	8092	7147
35.	उत्तराखंड	455	514	517
36.	पश्चिमी बंगाल	3473	4820	2664
	सकल योग	**107587**	**98966**	**94865**

****